



## संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय

### प्रलिस के लयः

कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वशिषिट आरथकि कषेत्तर, UNCLOS

### मेन्स के लयः

UNCLOS और समुद्री वविवद जैसे कदिक्षणि चीन सागर तथा पूरवी चीन सागर में

## चरचा में क्यौं?


हाल ही में भारत ने सामुद्रकि कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) पर अपना समर्थन दोहराया है ।

- भारत ने UNCLOS, 1982 में वशिष रूप से परलिकषति अंतर्राष्ट्रीय कानून के सदिधांतौ के आधार पर नेवगिशन और ओवरफ्लाइट तथा अबाधति वाणजिय की स्वतंत्रता का भी समर्थन कया है ।
- भारत, UNCLOS का एक समर्थक देश है ।

## प्रमुख बदिः

- सामुद्रकि कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री और समुद्री गतविधियों के लयि कानूनी ढाँचा स्थापति करता है ।
- इसे समुद्र के नयिम के रूप में भी जाना जाता है यह समुद्री कषेत्रों को पाँच मुख्य कषेत्रों में वभिजति करता है अरथात् **आंतरकि जल, प्रादेशकि सागर, सन्नहिति कषेत्तर, वशिषिट आरथकि कषेत्तर (EEZ) और हाई सीज़** ।
- यह तटीय देशों और महासागरों को नेवगिट करने वालों द्वारा अपतटीय शासन के लयि मज़बूती प्रदान करता है ।
- यह न केवल तटीय देशों के अपतटीय कषेत्रों का जोन है बल्कि **पाँचसकेंद्रति कषेत्रों में देशों के अधिकारों और ज़मिंदारियों के लयि वशिषिट मार्गदर्शन** भी प्रदान करता है ।
- जबकि UNCLOS पर **दक्षणि चीन सागर** में लगभग सभी तटीय देशों द्वारा हस्ताक्षर और पुष्टि की गई है कति इसकी व्याख्या अभी भी बहुत वविवदति है ।
  - पूरवी चीन सागर में भी समुद्री वविवद है ।

## समुद्री कषेत्तर



#### ■ आधार रेखा:

- यह तटीय देश द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त तट के साथ कम परिक्षेत्र की जल रेखा है।

#### ■ आंतरिक जल:

- आंतरिक जल वे जल होते हैं जो आधार रेखा के भू-भाग पर स्थिति होते हैं और जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है।
- प्रत्येक तटीय देश की अपने भूमिक्षेत्र की तरह अपने आंतरिक जल पर पूर्ण संप्रभुता होती है। आंतरिक जल के उदाहरणों में खाड़ी, बंदरगाह, इनलेट, नदियाँ और यहाँ तक कि समुद्र से जुड़ी झीलें भी शामिल हैं।
- आंतरिक जल से इनोसैंट पैसेज के गुजरने का कोई अधिकार नहीं है।
- इनोसैंट पैसेज का तात्पर्य उन जल से गुजरना है जो शांति और सुरक्षा के प्रतिकूल नहीं हैं। हालाँकि, राष्ट्रों को इसे नलिंबति करने का अधिकार है।

#### ■ प्रादेशिक सागर:

- प्रादेशिक समुद्र अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील (NM) तक वसित होता है।
  - एक नॉटिकल मील पृथ्वी की परधि पर आधारित होता है और अक्षांश के एक मिनट के बराबर होता है। यह भूमिमापि मील (1 समुद्री मील = 1.1508 भूमिमील या 1.85 कर्मी) से थोड़ा अधिक है।

#### ■ सन्नहिती क्षेत्त्र (Contiguous Zone):

- सन्नहिती क्षेत्त्र का वसितार आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक वसित होता है।
- तटीय देशों को अपने क्षेत्त्र के भीतर राजकोषीय, आवरण, स्वच्छता और सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकने तथा दंडित करने का अधिकार होता है।
- इसमें संबंधित देश को अपनी सीमा में न्याधिकारिता का अधिकार होता है। लेकिन यह हवाई और अंतरिक्ष क्षेत्त्र पर लागू नहीं होता है।

#### ■ अनन्य आर्थिक क्षेत्त्र ( Exclusive Economic Zone-EEZ):

- EEZ आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है।

#### ■ हाई सीज़ (High Seas):

- EEZ से अलग समुद्र की सतह और जल स्तंभ को 'हाई सीज़' कहा जाता है।
- इसे "सभी मानव जातकी साझा वरिसत" के रूप में माना जाता है और यह किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्त्र से परे है।
- देश इन क्षेत्त्रों में गतिविधियों का संचालन तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे शांतपूरण उद्देश्यों के लिये हों, जैसे कि पारगमन, समुद्री विज्ञान और पानी के नीचे की खोज।

स्रोत: द हट्टि

